

25.08.2022:- आज यह प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी सुखपाल कौर जरिये अधिवक्ता श्री मदनलाल गोदारा उपस्थित आये। प्रार्थीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्राथीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण मुल वाद-पत्र खारिज हो गया। मुल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी